

संख्या - 007/वी.जी.एल/010

भारत सरकार
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लाक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए, नई दिल्ली-110023
दिनांक: 20.08.2009

परिपत्र संख्या 24/8/09

विषय: अभियोजन स्वीकृतियों की संवीक्षा के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन ।

कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग) के दिनांक 6.11.2006 के कार्यालय ज्ञापन सं0 399/33/2006-एवीडी-III द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसरण में, आयोग ने दिनांक 13.6.2007 के परिपत्र सं0 17/5/07 तथा दिनांक 24.3.2008 के परिपत्र सं0 11/3/2008 द्वारा उन पुनःविचार प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए, जहां आयोग तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने संदिग्ध लोक सेवक के विरुद्ध अभियोजन की स्वीकृति की सलाह दी थी, एक सतर्कता आयुक्त की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था ।

2. विशेषज्ञों की उक्त समिति का कार्यकाल दो वर्षों की अवधि का था जो दिनांक 13.6.2009 को समाप्त हो चुका है । अब, आयोग ने समिति का कार्यकाल दिनांक 31.8.2009 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है ।

3. विशेषज्ञ समिति के नियम एवं शर्तें पूर्ववत रहेंगी ।

ह0/-
(शालिनी दरबारी)
निदेशक

1. विशेषज्ञ समिति के सदस्य
2. श्री राहुल सरीन, सचिव, का. एवं प्र. विभाग, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
3. श्री अश्वनी कुमार, निदेशक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली
4. सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी